भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालय :

भारतीय जीवन बीमा निगम

केन्द्रीय कार्यालय,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021.
वेबसाइट : www.licindia.in
पंजीकरण संख्या : 512

सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस

एलआईसी का

जीवन उत्सव

Plan No.: 871 UIN: 512N363V01

उत्सव मनाने का गारंटीड तरीका

आजीवन गारंटीड रिटर्न के साथ

ऑनलाइन भी उपलब्ध

पूर्ण आयु जीवन बीमा एवं लाभ भुगतान के विकल्प

- सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि 5 से 16 वर्ष
- प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान गारंटीकृत वृद्धि
- नियमित आय लाभ / फ्लेक्सी आय लाभ
- न्यूनतम मूल बीमा राशि 5 लाख

एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, व्यक्तिगत, बचत, पूर्ण आयु जीवन बीमा योजना

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital | विज़िट करें: licindia.in | कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/P1/2023-24/13/Hin/SB

एलआईसी का जीवन उत्सव (UIN: 512N314V01) (एक असंबद्ध, अप्रतिभागी, व्यक्तिगत, बचत, संपूर्ण जीवन बीमा प्लान)

एलआईसी का जीवन उत्सव एक असंबद्ध, अप्रतिभागी, व्यक्तिगत, बचत, संपूर्ण जीवन बीमा प्लान है। यह प्लान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और पॉलिसीधारक के जीवित रहने पर चुने गए विकल्प के अनुसार नियमित आमदनी हितलाभ या अनुकूल आमदनी हितलाभ प्रदान करता है।

एलआईसी का जीवन उत्सव एक अप्रतिभागी प्लान है जिसके अंतर्गत मृत्यु होने या जीवित रहने पर मिलने वाले हितलाभों की गारंटी है तथा जो कि निश्चित तथा वास्तविक अनुभव से असंबद्ध हैं। अतः यह पॉलिसी कोई विवेक आधारित हितलाभ जैसे कि बोनस आदि या अधिशेष राशि में हिस्सा नहीं प्रदान करती है।

इस प्लान को ऑफ़लाइन लाइसेंसधारक एजेन्ट्स, कॉर्पोरेट एजेन्ट्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेन्स मार्केटिंग फर्म्स तथा ऑनलाइन सीधे वेबसाइट www.licindia.in के ज़रिए खरीदा जा सकता है। लेकिन यह, पॉइन्ट ऑफ़ सेल्स पर्सन-लाइफ इंश्योरेन्स (POSP-LI)/कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर्स (CPSC-SPV) के ज़रिए उपलब्ध नहीं है।

1. मुख्य विशेषताएं:

- सीमित प्रीमियम भुगतान के साथ संपूर्ण जीवन बीमा
- प्लान के अंतर्गत आरंभ में हितलाभ के दो विकल्प चुनने हेतु उपलब्ध हैं
  - विकल्प I - नियमित आमदनी हितलाभ
  - विकल्प II – अनुकूल आमदनी हितलाभ
- प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान गारंटीड एडीशन्स
- 5 वर्ष से 16 वर्ष तक की प्रीमियम भुगतान अवधि चुनने की अनुकूलता
- आकर्षक उच्च बीमा राशि राहत का हितलाभ
- अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर राइडर्स चुनकर कवरेज (संरक्षण) को बढ़ाने का विकल्प
- लोन सुविधा के ज़रिए नकदीकरण की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता

2. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध:

i.	प्रीमियम भुगतान अवधि	5 से 16 वर्ष		
ii.	प्रवेश के समय न्यूनतम तथा अधिकतम उम्र	प्रीमियम भुगतान अवधि	प्रवेश के समय न्यूनतम उम्र (पूर्ण)	प्रवेश के समय अधिकतम उम्र (नज़दीकी जन्मदिन)
		5	8 वर्ष	65 वर्ष
		6	8 वर्ष	65 वर्ष
		7	8 वर्ष	65 वर्ष
		8	8 वर्ष	65 वर्ष
		9	7 वर्ष	65 वर्ष
		10	6 वर्ष	65 वर्ष
		11	5 वर्ष	64 वर्ष
		12	4 वर्ष	63 वर्ष
		13	3 वर्ष	62 वर्ष
		14	2 वर्ष	61 वर्ष
		15	1 वर्ष	60 वर्ष
		16	90 दिन	59 वर्ष

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न धारा, समय-समय पर यथा संशोधित।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम ''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के विरुद्ध पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरतंर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

iii.	प्रीमियम समाप्ति पर अधिकतम उम्र	75 वर्ष (नज़दीकी जन्मदिन)	
iv.	पॉलिसी वर्ष के आरंभ में न्यूनतम उम्र जब कि चुने गए विकल्प के अनुसार पहला नियमित आमदनी हितलाभ/ अनुकूल आमदनी हितलाभ देय होता है	18 वर्ष (पूर्ण)	
v.	न्यूनतम मूल बीमा राशि	₹ 5,00,000/-	
vi.	अधिकतम मूल बीमा राशि	कोई सीमा नहीं। लेकिन अधिकतम मूल बीमा राशि बोर्ड द्वारा स्वीकृत जोखिमांकन नीति के अनुसार लिए गए जोखिमांकन निर्णय पर निर्भर करेगी।	
vii.	मूल बीमा राशि गुणक	मूल बीमा राशि नीचे उल्लेख की गई राशियों के गुणकों के रूप में होगी:	
		मूल बीमा राशि की श्रेणी	मूल बीमा राशि गुणक
		₹ 5,00,000 से ₹ 24,00,000	₹ 25,000
		₹ 24,00,000 से अधिक	₹ 1,00,000

जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि: यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम है, तो जोखिम या तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष पूर्ण होने से, या 8 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के साथ या उसके तुरंत बाद पॉलिसी वर्षगाँठ से, जो भी पहले हो, प्रारंभ होगा। जिनकी उम्र प्रवेश के समय 8 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि के साथ ही जोखिम प्रारंभ हो जाएगा।

प्लान के अंतर्गत निहित होने की तिथि: अगर पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की गई है तो उसके 18 वर्ष की उम्र पूरे करने के साथ मेल खाने वाली या तुरन्त उसके बाद के पॉलिसी वर्षगांठ पर पॉलिसी अपने आप बीमित जीवन पर निहित हो जाएगी और उसे निगम तथा बीमित व्यक्ति के बीच संविदा माना जाएगा।

3. हितलाभ:

एक प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

ए. मृत्यु हितलाभ:

जोखिम के आरंभ होने की तिथि के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय मृत्यु हितलाभ **"मृत्यु पर बीमा राशि''** के साथ अर्जित गारंटीड एडीशन्स के समान होगा, बशर्ते पॉलिसी लागू हो। यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए समस्त प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा।

"मृत्यु पर बीमा राशि'' को 'मूल बीमा राशि' या वार्षिकीकृत प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त सूत्र में,

i. ''वार्षिक प्रीमियम'' पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

ii. ''भुगतान की गई कुल प्रीमियम'' का अर्थ है किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम और करों को छोड़कर प्राप्त सभी प्रीमियमों का कुल योग।

लेकिन अवयस्क बीमित व्यक्ति के मामले में,जहां प्रवेश करने की उम्र 8 वर्ष से कम है, जोखिम के आरंभ होने से पहले मृत्यु होने पर (जैसा कि पैरा 2 में उल्लेख किया गया है), मृत्यु हितलाभ की राशि, अदा किए गए प्रीमियम (कर, अतिरिक्त प्रीमियम तथा राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो को छोड़कर) को, बिना किसी ब्याज, लौटाना होगा।

बी. उत्तरजीविता हितलाभः

उत्तरजीविता हितलाभ नियमित आमदनी हितलाभ या अनुकूल आमदनी हितलाभ के रूप में नीचे दिए गए चुने गए विकल्प के अनुसार होगाः

विकल्प I - नियमित आमदनी हितलाभः

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में मूल बीमा राशि के 10% के समान का नियमित आमदनी हितलाभ देय होगा, जो कि नीचे दी गई तालिका 1 में विनिर्धारित वर्ष से शुरू होगा, बशर्ते सभी देय प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो।

विकल्प II - अनुकूल आमदनी हितलाभः

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में पॉलिसीधारक मूल बीमा राशि के 10% के समान अनुकूल आमदनी हितलाभ पाने का पात्र होगा, जो कि नीचे दी गई तालिका 1 में विनिर्धारित वर्ष से शुरू होगा, बशर्ते सभी देय प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो।

पॉलिसीधारक के पास इन अनुकूल आमदनी हितलाभ को विलंबित तथा जमा करने की अनुकूलता होगी।

निगम द्वारा निकासी या अभ्यर्पण या मृत्यु, जो भी पहले हो से देय तिथि तक, पूर्ण महीनों के लिए 5.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से विलंबित तथा जमा अनुकूल आमदनी हितलाभ राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ब्याज की गणना के लिए माह के बचे हुए दिनों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

पॉलिसीधारक पॉलिसी वर्ष में एक बार लिखित अनुरोध करके ब्याज सहित, अगर कोई हो, जमा बकाया अनुकूल आमदनी हितलाभों के अधिकतम 75% तक को निकाल सकता है, जो कि पहले नहीं निकाला गया हो तथा ऐसी निकासी के बाद नेट राशि, उपरोक्त अनुसार जमा होती रहेगी।

ब्याज के साथ देय कुल जमा अनुकूल आमदनी हितलाभ जिसे निकाला न गया हो, मृत्यु या अभ्यर्पण, जो भी पहले हो, पर देय होगा।

नीचे दी गई तालिका 1 में दर्शाया गया है कि बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर पहला नियमित आमदनी हितलाभ/अनुकूल आमदनी हितलाभ पॉलिसी वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा।

तालिका 1

प्रीमियम भुगतान अवधि	नियमित आमदनी हितलाभ/अनुकूल आमदनी हितलाभ आरंभ होने का वर्ष
5 वर्ष	11वां पॉलिसी वर्ष
6 वर्ष	11वां पॉलिसी वर्ष
7 वर्ष	11वां पॉलिसी वर्ष
8 वर्ष	11वां पॉलिसी वर्ष
9 वर्ष	12वां पॉलिसी वर्ष
10 वर्ष	13वां पॉलिसी वर्ष

डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

4. केवल मौन रहना तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक मामले की परिस्थितियों के आधार पर, बोलने से मौन रहना बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का कर्त्तव्य है या मौन रहना अपने आपमें बोलने के समकक्ष हो।

5. किसी भी बीमाकर्ता द्वारा किसी जीवन बीमा पॉलिसी का परित्याग धोखाधड़ी के आधार पर नहीं किया जाएगा, यदि बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि गलत-बयानी उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य थी और उस तथ्य को दबाकर रखने की कोई जान-बूझकर मंशा नहीं थी या उस महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत-बयानी या उसे दबाकर रखना बीमाकर्ता की जानकारी में था। खंडन करने का कार्यभार जीवित होने पर पॉलिसीधारक का, या फिर लाभार्थी का है।

6. जीवन बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है, कि बीमित व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या उसकी गलत-बयानी उस प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज में गलत रूप से की गई थी, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनरुज्जीवित की गई थी या हितलाभ जारी किया गया था। इसके लिए, बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को, जैसा लागू हो, लिखित में सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें उस आधार या सामग्रियों का उल्लेख हो, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी का परित्याग करने का निर्णय लिया गया है।

7. यदि परित्याग गलत-बयानी के आधार पर किया जाए और धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, तो ऐसी स्थिति में, परित्याग की तिथि तक पॉलिसी पर संग्रहित प्रीमियम का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को परित्याग की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

8. तथ्य को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक वह बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जोखिम पर प्रत्यक्ष भार न डालता हो। यह दर्शाने का कर्त्तव्य बीमाकर्ता का है, कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

9. बीमाकर्ता द्वारा किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगा जा सकता है, यदि वह ऐसा करने का पात्र है और किसी भी पॉलिसी पर केवल इसलिए सवाल उठाया जाना नहीं समझा जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें जीवन बीमित व्यक्ति की आयु के परवर्ती प्रमाण पर समायोजित हैं। इसलिए, यह धारा आयु पर सवाल उठाए जाने या परवर्ती रूप से जमा करवाए गए आयु के प्रमाण पर आधारित समायोजन किए जाने के लिए लागू नहीं होगा।

[विशेष सूचनाः यह बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 45 की व्यापक सूची नहीं है, और यह सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया एक सरलीकृत संस्करण है। पॉलिसीधारकों को सलाह दी जाती है कि वे संपूर्ण एवं सटीक जानकारियों हेतु बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 45 देखें।]

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2. इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

नोट:

1. वार्षिकीकृत प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम्स पर बारंबारता लोडिंग, राइडर्स के लिए अदा किए गए प्रीमियम्स, अगर कोई हो, तथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स शामिल नहीं है। दर्शाया गया वार्षिकीकृत प्रीमियम संचयी है तथा इसका भुगतान केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किया जाना है।
2. बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, पॉलिसीधारक पॉलिसी वर्ष के अंत पर अनुकूल आमदनी हितलाभ पाने का पात्र होगा.पॉलिसीधारक के पास इन अनुकूल आमदनी हितलाभों को स्थगित तथा संचित करने की अनुकूलता होगी। देय तिथि से निकासी या अभ्यर्पण या मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो, के महीनों के लिए स्थगित और अर्जित अनुकूल आमदनी हितलाभ पर निगम द्वारा ब्याज का भुगतान 5.5 प्रति वर्ष, वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से किया जाएगा। पॉलिसीधारक लिखित अनुरोध करके वर्ष में एक बार ब्याज सहित, अगर कोई हो, बकाया अर्जित अनुकूल आमदनी के . ज्यादा से ज़्यादा 75% को निकाल सकता है, जो कि पहले नहीं निकाली गई हो तथा निकासी के बाद नेट राशि ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार जमा होती रहेगी। देय तथा निकाले नहीं गए अर्जित अनुकूल आमदनी हितलाभों का ब्याज के साथ (अगर कोई हो) मृत्यु या अभ्यर्पण पर, जो भी पहले हो, भुगतान किया जाएगा।
3. विशेष अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जा सकता है, अगर यह पॉलिसीधारक के लिए अधिक अनुकूल हो।

<u>बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 45:</u>

बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 45 के प्रावधान समय-समय पर संशोधन अनुसार होंगे। इस प्रावधान का सरलीकृत संस्करण निम्नानुसार है:

बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 45 के अनुसार पॉलिसी पर सवाल न उठाए जाने के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार हैं :

1. निम्नांकित से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी विषय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा :
   - ए. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या
   - बी. जोखिम शुरू होने की तिथि, या
   - सी. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या
   - डी. पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो।
2. धोखाधड़ी के आधार पर, जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर निम्नांकित से 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है
   - ए. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या
   - बी. जोखिम शुरू होने की तिथि, या
   - सी. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या
   - डी. पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि जो भी बाद में हो।

   इसके लिए, बीमाकर्ता को उस आधार एवं सामग्रियों का उल्लेख करते हुए, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित होता है, बीमित को या बीमित के वैधानिक प्रतिनिधि या नामिती या समनुदेशिती, जैसा भी लागू हो, को लिखित में सूचना देनी चाहिए।
3. धोखाधड़ी का आशय निम्नांकित में से कोई भी कृत्य, जो बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से किया जाता है :
   - ए. सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;
   - बी. उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;
   - सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

11 वर्ष	14वां पॉलिसी वर्ष
12 वर्ष	15वां पॉलिसी वर्ष
13 वर्ष	16वां पॉलिसी वर्ष
14 वर्ष	17वां पॉलिसी वर्ष
15 वर्ष	18वां पॉलिसी वर्ष
16 वर्ष	19वां पॉलिसी वर्ष

पॉलिसीधारक पॉलिसी के आरंभ में चुने गए विकल्प को किसी भी समय उस पॉलिसी वर्ष के शुरू होने से छः महीने पहले बदल सकता है, जिसके लिए पहला नियमित आमदनी हितलाभ या अनुकूल आमदनी हितलाभ देय होता है।

सी. परिपक्वता हितलाभ:

इस प्लान के अंतर्गत परिपक्वता हितलाभ उपलब्ध नहीं है।

डी. गारंटीड एडीशन्स:

प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में प्रत्येक हजार मूल बीमा राशि पर रु. 40 की दर से गारंटीड एडीशन्स अर्जित होगा। प्रीमियम भुगतान अवधि के पश्चात कोई एडीशन्स गारंटीड अर्जित नहीं होगा।

अगर प्रीमियम्स का विधिवत भुगतान नहीं किया जाता है तो पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीड एडीशन्स का अर्जन होना बंद हो जाएगा।

प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु के वर्ष गारंटीड एडीशन्स का भुगतान पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए किया जाएगा।

प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रभावी पॉलिसी को अभ्यर्पित किए जाने पर, जिस वर्ष पॉलिसी को अभ्यर्पित किया गया है, के लिए गारंटीड एडीशन्स को अभ्यर्पित वर्ष के पूर्ण महीनों के लिए समानुपाती आधार पर जोड़ा जाएगा।

4. उपलब्ध विकल्प:

i. राइडर हितलाभ

इस प्लान के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नांकित पाँच वैकल्पिक राइडर्स (या इनके संशोधित स्वरूप) उपलब्ध हैं। हालाँकि, पॉलिसीधारक द्वारा एलआईसी के दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02) या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर (UIN:512B203V03) में से किसी एक को तथा/या नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, पात्रता के अधीन बाकी तीन राइडर्स को चुना जा सकता है।

ए) एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02):

इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण उस पॉलिसी वर्षगांठ तक उपलब्ध होगा, जो कि बीमित व्यक्ति की 70 वर्ष की उम्र के नजदीकी जन्मदिन से पहले हो। इस राइडर को प्रभावी पॉलिसी के लिए मूल प्लान की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष की उम्र के होने के नजदीकी जन्म दिन के पॉलिसी वर्षगांठ से पूर्व तक इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण उपलब्ध होगा, अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप से मूल प्लान के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ देय होगी. दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) अशक्तता पैदा होने पर पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा तथा

दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भविष्य के प्रीमियम्स तथा मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि, जो कि दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान है, के अंश हेतु प्रीमियमों को माफ कर दिया जाएगा।

अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पॉलिसी वर्षगांठ से, इस विषय में विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध होगा।

बी) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (UIN:512B203V03):

इस राइडर को प्रभावी पॉलिसी के लिए मूल प्लान की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान तथा राइडर की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हा, लेकिन पॉलिसी वर्षगांठ से पहले जब नजदीकी जन्मदिन पर बीमित व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष हो इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण प्रीमियम भुगतान केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान या बीमित व्यक्ति के 70 वर्ष की उम्र के होने के नजदीकी जन्म दिन के पॉलिसी वर्षगांठ से पूर्व तक उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त रूप में, मूल प्लान के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ देय होगा।

सी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (UIN: 512B210V01):

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ 35 वर्ष की अवधि या बीमित व्यक्ति की उम्र के 75 वर्ष होने के नज़दीकी वर्षगांठ,जो भी पहले हो, तक के लिए उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को चुना जाता है, तो पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि के समान एक राशि का भुगतान किया जाएगा।

डी) एलआईसी का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर (UIN: 512A212V02):

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ 35 वर्ष की अवधि या बीमित व्यक्ति की उम्र के 75 वर्ष होने के, जो भी पहले हो, तक के लिए उपलब्ध होगा. अगर इस राइडर को लिया जाता है तो इस राइडर के अंतर्गत संरक्षित विनिर्धारित 15 क्रिटिकल इलनेस (गंभीर बीमारियों) में से किसी के पहली बार निदान होने पर, क्रिटिकल इलनेस बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

ई) एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (UIN: 512B204V03):

किसी प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, किसी भी समय पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर इस राइडर को पॉलिसी वर्षगांठ के समय, लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लिया जा सकता है, बशर्तें मूल पॉलिसी तथा राइडर की प्रीमियम भरने की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। साथ ही पॉलिसी के अंतर्गत इस राइडर को लेने की वहां अनुमति होगी जहां इस राइडर को लेते समय बीमित व्यक्ति अवयस्क है। राइडर की अवधि इस राइडर को चुनने की तिथि को मूल प्लान की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि या (25 - राइडर लेते समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की उम्र) से जो भी कम हो, होगी। अगर राइडर की अवधि + प्रस्तावक की उम्र 70 वर्ष से अधिक हो तो राइडर की अनुमति नहीं होगी।

अगर इस राइडर को लिया जाता है तो, प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि के बाद से राइडर अवधि की समाप्ति तक देय होने वाले प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन किसी स्थिति में, अगर मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि, राइडर की अवधि से अधिक हो तो इस प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर अवधि की समाप्ति की तिथि से देय होने वाले मूल पॉलिसी के अंतर्गत अगले प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसे प्रीमियमों का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता पॉलिसी बन जाएगी।

नोटः

1. वार्षिकीकृत प्रीमियम में अंडरराइटिंग अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम्स पर बारंबारता लोडिंग, राइडर्स के लिए अदा किए गए प्रीमियम्स, अगर कोई हो, तथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स शामिल नहीं है। दर्शाया गया वार्षिकीकृत प्रीमियम संचयी है तथा इसका भुगतान केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किया जाना है।
2. विशेष अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जा सकता है, अगर यह पॉलिसीधारक के लिए अधिक अनुकूल हो।

उदाहरण 2: विकल्प II- अनूकूल आमदनी हितलाभ:

उम्र	35	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
प्रीमियम भुगतान अवधि	12	जीएसटी दर(दूसरे वर्ष से):	2.25%
मूल बीमा राशि ₹	10,00,000	किस्त प्रीमियम की राशि	86,850
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम	वार्षिक	नोटः जीएसटी दर समय-समय पर लागू अनुसार होगा	

हितलाभ का सार-संक्षेपः

पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति)	वार्षिकीकृत प्रीमियम[1] (संचयी)	गारंटीड एडीशन	निश्चित हितलाभ (रु. में)				गारंटी-रहित हितलाभ (रु. में)
			नियमित आमदनी हितलाभ[2]	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम निश्चित अभ्यर्पण मूल्य[3]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य
1	86850	40000	0	0	1040000	0	0
2	173700	80000	0	0	1080000	52110	0
3	260550	120000	0	0	1120000	93593	44141
4	347400	160000	0	0	1160000	178548	117759
5	434250	200000	0	0	1200000	225245	220828
6	521100	240000	0	0	1240000	272766	313538
7	607950	280000	0	0	1280000	321139	422429
8	694800	320000	0	0	1320000	380605	547501
9	781650	360000	0	0	1360000	443469	688644
10	868500	400000	0	0	1400000	509730	846067
11	955350	440000	0	0	1440000	579388	968931
12	1042200	480000	0	0	1480000	652444	1100084
13	1042200	480000	0	0	1480000	672828	1169940
14	1042200	480000	0	0	1480000	693212	1170088
15	1042200	480000	100000	0	1480000	713644	1170236
16	1042200	480000	100000	0	1480000	634028	1170384
17	1042200	480000	100000	0	1480000	554412	1170532
18	1042200	480000	100000	0	1480000	474796	1170680
19	1042200	480000	100000	0	1480000	395180	1170828
20	1042200	480000	100000	0	1480000	315564	1170976
21	1042200	480000	100000	0	1480000	235948	1171124
22	1042200	480000	100000	0	1480000	156332	1171272
23	1042200	480000	100000	0	1480000	76764	1171420
24	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1171568
25	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1171716
26	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1171864
27	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1172012
28	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1172160
29	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1172308
30	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1172456
31	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1172604
32	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1172752
33	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1172900
34	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1173048
35	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1173196
36	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1173344
37	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1173492
38	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1173640
39	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1173788
40	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1173936
41	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1174084
42	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1174232
43	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1174380
44	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1174528
45	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1174676
46	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1174824
47	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1174972
48	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1175120
49	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1175268
50	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1175416
51	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1175564
52	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1175712
53	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1175860
54	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1176008
55	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1176156
56	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1176304
57	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1176452
58	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1176600
59	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1176748
60	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1176896
61	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1177044
62	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1177192
63	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1177340
64	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1177488
65	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1480000

विकल्प II के अंतर्गत, ऋण ब्याज के भुगतान में चूक करने पर तथा जब ब्याज के साथ बकाया ऋण की राशि, अभ्यर्पण मूल्य तथा किसी जमा अनुकूल आमदनी हितलाभों के योगफल से अधिक हो जाए; या

डी) पुनर्चलन अवधि के समाप्त होने पर, अगर पॉलिसी ने चुकता स्थिति को प्राप्त न किया हो, पुनर्चलन अवधि में उसे पुनर्चलन न किया गया हो; या

ई) निशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण की राशि का भुगतान मिलने पर; या

एफ) पैरा 17 में उल्लेखित अनुसार जब्ती होने पर

19. हितलाभ के नमूने का उदाहरण:

उदाहरणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और हितलाभ के प्रवाह को कुछ सीमा तक मात्रा के साथ समझ सके। यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन के लिए है जहां पॉलिसियों को एजेन्ट/मध्यावर्तियों के . जरिए चुना गया है।

उदाहरण 1: विकल्प I- नियमित आमदनी हितलाभ:

उम्र	35	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
प्रीमियम भुगतान अवधि	10	जीएसटी दर(दूसरे वर्ष से):	2.25%
मूल बीमा राशि ₹	10,00,000	किस्त प्रीमियम की राशि	1,11,050
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम	वार्षिक	नोटः जीएसटी दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी	

हितलाभ का सार-संक्षेप:

पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति)	वार्षिकीकृत प्रीमियम[1] (संचयी)	गारंटीड एडीशन	निश्चित हितलाभ (रु. में)				गारंटी-रहित हितलाभ (रु. में)
			नियमित आमदनी हितलाभ[2]	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम निश्चित अभ्यर्पण मूल्य[3]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य
1	111050	40000	0	0	1040000	0	0
2	222100	80000	0	0	1080000	66630	0
3	333150	120000	0	0	1120000	119003	55734
4	444200	160000	0	0	1160000	226948	148624
5	555250	200000	0	0	1200000	285745	278740
6	666300	240000	0	0	1240000	345366	398160
7	777350	280000	0	0	1280000	405839	538804
8	888400	320000	0	0	1320000	480273	700672
9	999450	360000	0	0	1360000	558822	883764
10	1110500	400000	0	0	1400000	641486	1088080
11	1110500	400000	0	0	1400000	662057	1157520
12	1110500	400000	0	0	1400000	682629	1157660
13	1110500	400000	100000	0	1400000	703201	1157800
14	1110500	400000	100000	0	1400000	623773	1157940
15	1110500	400000	100000	0	1400000	544385	1158080
16	1110500	400000	100000	0	1400000	464957	1158220
17	1110500	400000	100000	0	1400000	385529	1158360
18	1110500	400000	100000	0	1400000	306100	1158500
19	1110500	400000	100000	0	1400000	226672	1158640
20	1110500	400000	100000	0	1400000	147244	1158780
21	1110500	400000	100000	0	1400000	67816	1158920
22	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1159060
23	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1159200
24	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1159340
25	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1159480
26	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1159620
27	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1159760
28	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1159900
29	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1160040
30	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1160180
31	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1160320
32	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1160460
33	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1160600
34	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1160740
35	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1160880
36	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1161020
37	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1161160
38	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1161300
39	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1161440
40	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1161580
41	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1161720
42	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1161860
43	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1162000
44	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1162140
45	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1162280
46	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1162420
47	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1162560
48	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1162700
49	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1162840
50	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1162980
51	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1163120
52	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1163260
53	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1163400
54	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1163540
55	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1163680
56	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1163820
57	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1163960
58	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1164100
59	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1164240
60	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1164380
61	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1164520
62	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1164660
63	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1164800
64	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1164940
65	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1400000

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ राइडर तथा यथा लागू एलआईसी के न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर के लिए प्रीमियम मूल प्लान के अंतर्गत के 100% से अधिक नहीं होगा तथा सभी जीवन बीमा राइडर्स के अंतर्गत कुल प्रीमियम मूल प्लान के अंतर्गत प्रीमियम्स के 30% से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के नजदीक शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

ii. मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प:

यह किसी प्रभावी और साथ ही साथ प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि लेने के 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किस्तों में मृत्यु लाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु लाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो निश्चित मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किए गए चयन के अनुसार, किश्तों का अग्रि भुगतान वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किश्त की न्यूनतम राशि निम्न प्रकार होगी:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	₹ 5,000/-
त्रैमासिक	₹ 15,000/-
अर्ध-वार्षिक	₹ 25,000/-
वार्षिक	₹ 50,000/-

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार वांछित राशि, न्यूनतम किश्त की राशि से कम है तो दावे की प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किश्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किश्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्ष अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर में से 2% कम करके, उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्ष अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2023 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2024 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किश्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.31% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने हेतु, बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान इस विकल्प का प्रयोग, पॉलिसी के प्रभावी रहते हुए, उस शुद्ध दावा राशि को निर्दिष्ट करते हुए किया जा सकता है, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है। इसके बाद बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को मृत्यु दावा राशि का भुगतान किया जाएगा और इसमें नामांकित व्यक्ति को किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

5. प्रीमियमों का भुगतान:

प्रीमियमों का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्ध-वार्षिक त्रैमासिक या मासिक अंतरालों में (मासिक प्रीमियमों केवल एनएसीएच के जरिए) या पॉलिसी अवधि के दौरान वेतन से कटौती के ज़रिए किया जा सकता है।

6. अनुग्रह अवधि:

भुगतान न हुए प्रीमियम की पहली तिथि से मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन तथा वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिन की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा-सुरक्षा के साथ प्रभावी मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि उन हितलाभ प्रीमियमों के लिए भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय हैं।

7. प्रीमियम के नमूने का उदाहरण:

मानक जीवनों के लिए ₹ 5,00,000 की बीमा राशि की ऑफलाइन बेची जाने वाली पॉलिसियों हेतु वार्षिक प्रीमियमों का उदाहरण निम्न अनुसार है:

प्रीमियम भुगतान अवधि	प्रवेश के समय उम्र		
	10 वर्ष	30 वर्ष	50 वर्ष
5	₹ 1,09,575	₹ 1,10,150	₹ 1,18,625
8	₹ 72,600	₹ 72,600	₹ 72,600
12	₹ 44,250	₹ 44,275	₹ 45,225
16	₹ 29,900	₹ 30,025	₹ 33,475

उपरोक्त प्रीमियमों में कर शामिल नहीं हैं।

8. आदर्श अधिभार :

विधि	अधिभार, तालिकाबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में
वार्षिक	शून्य
अर्ध -वार्षिक	1.75%
त्रैमासिक	2.50%
वार्षिक	3.25%

9. रियायतें:

उच्च मूल बीमा राशि के लिए रियायत:

उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रीमियम दर में रियायत मूल बीमा राशि के तीन स्लैब्स i) ₹ 10,00,000 से ₹24,00,000 ii) ₹25,00,000 से ₹49,00,000 iii) ₹ 50,00,000 व अधिक पर दी गई है। उच्च मूल बीमा राशि के लिए रियायत मूल बीमा राशि के स्लैब तथा प्रीमियम भुगतान अवधि पर निर्भर करता है। मूल बीमा राशि के निचले स्लैब से ऊपर के स्लैब की तरफ बढ़ने के साथ रियायत में वृद्धि होती है तथा प्रीमियम भुगतान अवधि में वृद्धि होने के साथ घटती है।

ऑनलाइन बिक्री के अंतर्गत रियायत :

किसी एजेन्ट/मध्यावर्ती की सहायता के बिना ऑनलाइन बिक्री के तहत पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव के लिए तालिका प्रीमियम पर 10% की दर से रियायत प्रदान किया जाएगा।

10. पुनर्चलन:

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। एक कालातीत पॉलिसी को भुगतान नहीं की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के भीतर पुनर्चलित करवाया जा सकता है। यह पुनर्चलन समय-समय पर निगम

जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय किसी भी लाभ की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

15. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की तिथि से 30 दिनों के भीतर, आपत्तियों के कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और हितलाभ, यदि कोई हो, के लिए), चिकित्सीय परीक्षण, विशेष रिपोर्टों, यदि कोई हों, पर हुए व्ययों और स्टाम्प शुल्क प्रभारों की कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

16. आत्महत्या संबंधी अपवर्जन:

i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मासिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम के शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी कुल अदा किए गए प्रीमियम्स में से किसी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो, को छोड़कर, आने वाली राशि का 80% पाने का पात्र होगा. बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो। यह खंड उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश पर उम्र 8 वर्ष से कम हो।

ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मासिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक कुल अदा किए गए कुल प्रीमियम्स (किसी कर,अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो) के 80% या मृत्यु की तिथि को उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य, में से जो भी अधिक हो,को पाने पात्र होगा। बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का पात्र नहीं होगा।

यह खंड लागू नहीं होगा :

i. पुनर्चलन के समय पर जीवन बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम है; या

ii. पॉलिसी बिना कोई चुकता मूल्य अर्जित किए कालातीत हो जाती है और ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होता है.

17. कुछ प्रकरणों में जब्ती:

अगर यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, निजी कथन, घोषणा तथा संबंधित कागजातों में कोई गलत या असत्य कथन दिए गए हैं या किसी महत्त्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया है, तो ऐसे सभी मामलों में पॉलिसी अमान्य हो जाएगी तथा किसी भी हितलाभ से संबंधित सभी दावे समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

18. पॉलिसी का समाप्त होना :

निम्नलिखित में से किसी के घटित होते ही पॉलिसी तुरंत तथा स्वतः आप समाप्त हो जाएगी:

ए) जिस तिथि को एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया गया हो; या

बी) जिस तिथि को पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया गया हो; या

सी) विकल्प I के अंतर्गत, ऋण ब्याज के भुगतान में चूक करने पर तथा जब ब्याज के साथ बकाया ऋण की राशि, अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाए; या

1. इस प्लान के अंतर्गत पॉलिसी के चुकता मूल्य प्राप्त कर लेने के बाद ऋण सुविधा उपलब्ध है, बशर्ते कम से कम दो पूरे वर्षों के प्रीमियम्स का भुगतान कर दिया गया हो।
2. स्वीकृत किया जाने वाला अधिकतम ऋण निम्न अनुसार होगा:

   (i) अगर लोन उस पॉलिसी वर्ष के शुरू होने से पहले लिया जाता है जब पहला नियमित आमदनी हितलाभ/अनुकूल आमदनी हितलाभ देय होता है:

   दोनों विकल्पों के अंतर्गत अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में अधिकतम स्वीकार्य ऋण निम्न अनुसार होगा:

   - प्रभावी पॉलिसियों के लिए -75% तक
   - चुकता पॉलिसियों के लिए -50% तक

   (ii) अगर ऋण उस पॉलिसी वर्ष के शुरू होने से लिया जाता है जब पहला नियमित आमदनी हितलाभ/अनुकूल आमदनी हितलाभ देय होता है:

   विकल्प I- नियमित आमदनी हितलाभ

   जो पॉलिसियां नियमित आमदनी हितलाभों की पात्र हैं, उनके लिए ऋण की अधिकतम स्वीकार्य राशि (जहां कोई पिछला ऋण बकाया नहीं है) की गणना इस प्रकार से की जाएगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज राशि पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक नियमित आमदनी हितलाभ के 50% से अधिक न हो, जो कि प्रभावी पॉलिसियों के मामले में अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 75% तथा चुकता पॉलिसियों के मामले में अभ्यर्पण मूल्य के 50% के अधीन हो।

   विकल्प II- अनुकूल आमदनी हितलाभ

   जो पॉलिसियां अनुकूल आमदनी हितलाभों की पात्र हैं, उनके लिए ऋण की अधिकतम स्वीकार्य राशि (जहां कोई पिछला ऋण बकाया नहीं है) की गणना इस प्रकार से की जाएगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज राशि पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक अनुकूल आमदनी हितलाभ के 50% से अधिक न हो, जो कि प्रभावी पॉलिसियों के मामले में अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 75% तथा चुकता पॉलिसियों के मामले में अभ्यर्पण मूल्य के 50% के अधीन हो. इसके साथ, अनुकूल आमदनी हितलाभों के 50% तक लोन जो कि देय हो तथा निकाले न गए हों, स्वीकार्य हैं।
3. दोनों विकल्पों के अंतर्गत, बकाया ऋण ब्याज, अगर कोई हो, तो उसे वार्षिक नियमित आमदनी हितलाभ/अनुकूल आमदनी हितलाभ, जैसी भी स्थिति हो, से वसूल किया जाएगा।
4. पूर्ण: ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज की दर, इस प्रोडक्ट के लिए गए ऋण हेतु 1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम काम-काजी दिन पर अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 10 वर्ष से अधिक नहीं हेतु जी-सेक दर 300 बेसेस पॉइन्ट्स या निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फ़ंड पर अर्जित आमदनी 100 बेसेस पॉइन्ट्स, जो भी अधिक हो,से अधिक नहीं होगी। 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत लोन के लिए लागू ब्याज की दर अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 9.5% वार्षिक होगी। पॉलिसी लोन के लिए लागू ऋण ब्याज की गणना के आधार को बदला जा सकता है।
5. किसी बकाया ऋण की वसूली, निकास के समय दावे की राशि से ब्याज सहित की जाएगी।

14. कर:

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

प्रीमियमों पर पॉलिसीधारक द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि (मूल पॉलिसी और राइडरों के लिए, यदि कोई हो) अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हो, देय होगी,

द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं जीवन बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी का प्रीमियम माफी लाभ हितलाभ चुना गया हो) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर प्रभावी होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, प्रलेखों और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रदान किया जाता है.

निगम द्वारा किसी बंद पॉलिसी के पुर्नचलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। बंद हो चुकी पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा, जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित एवं स्वीकृत कर लिया जाता है और पुनर्चलन की रसीद जारी कर दी जाती है।

इस उत्पाद के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार 10 वर्ष जी-सेक दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक एवं 3% के योग या निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फंड पर अर्जित लाभ एवं 1% के योग में से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2024 तक की 12 महीने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

11. चुकता मूल्य:

यदि पूरे दो वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा तथा भुगतान किए गए प्रीमियम को भी लौटाया नहीं जाएगा।

यदि कम से कम दो पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूर्णतः अमान्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक चुकता पॉलिसी के रूप में कायम रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत चुकता बीमा राशि (भुगतान की गई प्रीमियम की संख्या/देय प्रीमियम की कुल संख्या) x (मूल बीमा राशि) के बराबर होगी।

पॉलिसी के अंतर्गत जिस अवधि के लिए प्रीमियमों का भुगतान किया गया है, अर्जित गारंटीड एडीशन पॉलिसी से संलग्न रहेंगे, जबकि प्रीमियम का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता हो जाएगी। पॉलिसी चुकता होने पर कोई गारंटीड एडीशन अर्जित नहीं करेगी।

जिस पॉलिसी वर्ष में, पॉलिसी के चुकता होने से पहले पूरे वर्ष से कम हेतु प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, उस वर्ष के लिए गारंटीड एडीशन्स का अर्जन पॉलिसी वर्ष हेतु किए गए प्रीमियम्स के भुगतान के समानुपात में होगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्न अनुसार होंगे:

(a) उस चुकता पॉलिसी के अंतर्गत,जहां चुकता बीमा राशि ₹ 2,00,000 से कम है:

बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, नामित व्यक्ति/लाभार्थी को मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाएगा, जो कि ‘मृत्यु पर चुकता बीमा राशि’ के साथ अर्जित गारंटीड एडीशन्स के समान होगी।

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, जहां चुकता बीमा राशि ₹ 2,00,000 से कम है नियमित आमदनी हितलाभों या अनुकूल आमदनी हितलाभों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(b) उस चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, जहां चुकता बीमा राशि ₹ 2,00,000 के समान या इससे अधिक है:

i. विकल्प I के अंतर्गत -नियमित आमदनी हितलाभ:

बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, नामित व्यक्ति/लाभार्थी को मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाएगा, जो कि 'मृत्यु पर चुकता बीमा राशि' के साथ अर्जित गारंटीड एडीशन्स के समान होगी।

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, नीचे तालिका 1 के पैरा 3 बी में उल्लेख किए गए अनुसार वर्ष से शुरू होकर प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में नियमित आमदनी हितलाभ का भुगतान किया जाएगा:

चुकता बीमा राशि	**नियमित आमदनी हितलाभ**
₹ 2,00,000 व अधिक लेकिन ₹ 3,00,000 से कम	चुकता बीमा राशि का 5%
₹ 3,00,000 व अधिक लेकिन ₹ 4,00,000 से कम	चुकता बीमा राशि का 6%
₹ 4,00,000 व अधिक लेकिन ₹ 5,00,000 से कम	चुकता बीमा राशि का 7%
₹ 5,00,000 व अधिक	चुकता बीमा राशि का 10%

ii. विकल्प II के अंतर्गत-अनुकूल आमदनी हितलाभ:

बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, नामित व्यक्ति/लाभार्थी को मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाएगा, जो कि 'मृत्यु पर चुकता बीमा राशि' के साथ अर्जित गारंटीड एडीशन्स के समान होगी।

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, पॉलिसीधारक नीचे तालिका 1 के पैरा 3.बी में उल्लेख किए गए अनुसार वर्ष से शुरू होकर प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में नियमित अनुकूल आमदनी हितलाभ पाने का पात्र होगा:

चुकता बीमा राशि	**अनुकूल आमदनी हितलाभ**
₹ 2,00,000 व अधिक लेकिन ₹ 3,00,000 से कम	चुकता बीमा राशि का 5%
₹ 3,00,000 व अधिक लेकिन ₹ 4,00,000 से कम	चुकता बीमा राशि का 6%
₹ 4,00,000 व अधिक लेकिन ₹ 5,00,000 से कम	चुकता बीमा राशि का 7%
₹ 5,00,000 व अधिक	चुकता बीमा राशि का 10%

उपरोक्त अनुकूल आमदनी हितलाभों पर ब्याज तथा निकासी (देय लेकिन निकाले नहीं गए हों) के बारे में सभी नियम व शर्तें यथा प्रभावी पॉलिसियों के समान लागू होंगे।

देय तथा निकाले नहीं गए अर्जित अनुकूल हितलाभ ब्याज के साथ मृत्यु या अभ्यर्पण,जो भी पहले हो, पर देय होंगे।

12. अभ्यर्पण:

पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा किसी भी समय पॉलिसी अभ्यर्पित की सकती है, बशर्ते कि दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो। पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम द्वारा निश्चित अभ्यर्पण मूल्य (GSV) या विशेष अभ्यूर्पण मूल्य (SSV) में से जो भी अधिक हो उसका भुगतान किया जाएगा।

निश्चित अभ्यर्पण मूल्य (GSV) निम्न अनुसार होगा:

- **विकल्प I – नियमित आमदनी हितलाभ**

  देय निश्चित अभ्यर्पण मूल्य, (कुल भुगतान किए गए प्रीमियम्स X अदा किए गए कुल प्रीमियम्स पर लागू निश्चित अभ्यर्पण मूल्य घटक) तथा (अर्जित गारण्टीड एडीशन्स द अर्जित गारण्टीड एडीशन्स पर लागू निश्चित अभ्यर्पण मूल्य घटक) से देय नियमित आमदनी हितलाभों और अभ्यर्पण की तिथि तक भुगतान की गई राशि, अगर कोई हो, को घटाकर आने वाली राशि के समान होगा।

- **विकल्प II – अनुकूल आमदनी हितलाभ**

  देय निश्चित अभ्यर्पण मूल्य, (कुल भुगतान किए गए प्रीमियम्स X अदा किए गए कुल प्रीमियमों पर लागू निश्चित अभ्यर्पण मूल्य घटक) तथा (अर्जित गारण्टीड एडीशन्स X अर्जित गारण्टीड एडीशन्स पर लागू निश्चित अभ्यर्पण मूल्य घटक) से देय अनुकूल आमदनी हितलाभों और अभ्यर्पण की तिथि तक भुगतान की गई राशि, अगर कोई हो, को घटाकर आने वाली राशि के समान होगा।

  इसके साथ, अभ्यर्पण की तिथि तक, कोई अर्जित अनुकूल आमदनी हितलाभ जो देय हों तथा निकाले नहीं गए हों, ब्याज (अगर कोई हो) के साथ देय होंगे।

  उपरोक्त संदर्भित प्रीमियम्स में कोई कर, जोखिमांकन निर्णयों के कारण ली जाने वाली कोई अतिरिक्त राशि तथा राइडर प्रीमियमों, अगर कोई हो, तो वो शामिल नहीं है।

  ये निश्चित अभ्यर्पण मूल्य घटक कुल प्रीमियमों पर लागू हैं तथा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और ये पॉलिसी अवधि तथा पॉलिसी के अभ्यर्पण करने के वर्ष पर निर्भर करेंगे। इन्हें नीचे दिए गए अनुसार विनिर्धारित किया गया है:

कुल अदा किए गए प्रीमियमों पर लागू निश्चित अभ्यर्पण मूल्य घटक									
पॉलिसी वर्ष	**घटक**	**पॉलिसी वर्ष**	**घटक**	**पॉलिसी वर्ष**	**घटक**	**पॉलिसी वर्ष**	**घटक**	**पॉलिसी वर्ष**	**घटक**
1	0.00%	**8**	51.48%	**15**	61.85%	**22**	72.22%	29	82.59%
2	30.00%	**9**	52.96%	**16**	63.33%	**23**	73.70%	30	84.07%
3	35.00%	**10**	54.44%	**17**	64.81%	**24**	75.19%	31	85.56%
4	50.00%	**11**	55.93%	**18**	66.30%	**25**	76.67%	32	87.04%
5	50.00%	**12**	57.41%	**19**	67.78%	**26**	78.15%	33	88.52%
6	50.00%	**13**	58.89%	**20**	69.26%	**27**	79.63%	34	90.00%
7	50.00%	**14**	60.37%	**21**	70.74%	**28**	81.11%	35 व अधिक	90.00%

निश्चित अभ्यर्पण मूल्य घटक गारंटीड एडीशन्स पर लागू हैं तथा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और पॉलिसी अवधि तथा पॉलिसी के अभ्यर्पण करने के वर्ष पर निर्भर करेंगे। इन्हें नीचे दिए गए अनुसार विनिर्धारित किया गया है:

गारंटीड एडीशन्स के लिए लागू निश्चित अभ्यर्पण मूल्य घटक									
पॉलिसी वर्ष	**घटक**	**पॉलिसी वर्ष**	**घटक**	**पॉलिसी वर्ष**	**घटक**	**पॉलिसी वर्ष**	**घटक**	**पॉलिसी वर्ष**	**घटक**
1	0.00%	**8**	7.16%	**15**	14.38%	**22**	21.59%	29	28.81%
2	0.00%	**9**	8.19%	**16**	15.41%	**23**	22.63%	30	29.84%
3	2.00%	**10**	9.22%	**17**	16.44%	**24**	23.66%	31	30.88%
4	3.03%	**11**	10.25%	**18**	17.47%	**25**	24.69%	32	31.91%
5	4.06%	**12**	11.28%	**19**	18.50%	**26**	25.72%	33	32.94%
6	5.09%	**13**	12.31%	**20**	19.53%	**27**	26.75%	34	33.97%
7	6.13%	**14**	13.34%	**21**	20.56%	**28**	27.78%	35 व अधिक	35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य (SSV) समीक्षाधीन है तथा इसकी गणना निगम द्वारा समय-समय पर IRDAI की पूर्व स्वीकृति के अधीन की जाएगी।

राइडर(रों), अगर हो, पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

13. पॉलिसी ऋण:

पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अंतर्गत, ऋण लिया जा सकता है, जो कि ऐसी राशि के लिए पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य तथा निगम द्वारा समय-समय पर विनिर्धारितनियमों व शर्तों के अधीन है।